

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 09 जनवरी, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वित्त पोषित इकाईयों के लाभार्थियों हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-617/खा.ग्रा.बो./व्यव0 प्रशि0 पत्रा0/2017-18, दिनांक 18.12.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को वित्त पोषण से पूर्व प्रशिक्षित करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) में से प्रथम किश्त की धनराशि रू0 25.085 लाख (रूपये पचीस लाख आठ हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार निदेशक कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, 30प्र0 के निर्वतन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही किया जायेगा।

(1)- उक्त धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017, में दिये गये निर्देशों तथा समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन प्रभारी मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- व्यय की तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(3)- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29-05-2012 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार धनराशि का भुगतान नगद व चेक के माध्यम से न करके सीधे लाभार्थी के खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली किया जायेगा।

(4)- उक्त धनराशि का मासिक व्यय प्रभारी, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अधिकारियों द्वारा प्रपत्र बी-एम-8 में दो प्रतियों में शासन व सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, 30प्र0 शासन को प्रति माह उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)- उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(6)- उक्त स्वीकृत धनराशि का महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

(7) कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-1/1/2010-का-प्रसको.-2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 एवं नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-363/35-1-2016-5/31(3)/85, दिनांक 02 जून, 2016 में उल्लिखित प्रशिक्षण दरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी/प्रत्येक प्रशिक्षक का प्रत्येक सत्र का प्रतिदिन का डिजिटल फोटोग्राफ संरक्षित किया जायेगा तथा उनके मोबाइल नम्बर/आधार नम्बर भी संरक्षित किये जायेंगे।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-5 के लेखा शीर्षक '2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-105-खादी ग्रामोद्योग-11-खादी बोर्ड की वित्त पोषित इकाइयों की व्यवहारिक प्रशिक्षण (जिला योजना)-20-'सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017, में निहित व्यवस्था के तहत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

( सुरेश चन्द्र )

संयुक्त सचिव।

संख्या-01/2018/1096(1)/59-2-2017-19(खा)/2009 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 4- वित्तीय सलाहकार 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 5- जिलाधिकारी/प्रभारी, मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ, मऊ, बहराइच, इलाहाबाद, जालौन, शाहजहाँपुर, मथुरा, बिजनौर।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
- 10- गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

( सुरेश चन्द्र )

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-01/2018/1096/59-2-2017-19(खा)/2009, दिनांक 09 जनवरी, 2018

व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना वर्ष 2017-18 का ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों का केन्द्रवार धनराशि का विवरण (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	धनराशि	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ	1.73	50
2	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी गोरखपुर	1.73	50
3	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, आहोपट्टी आजमगढ़	1.73	50
4	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण ग्रामोद्योग केन्द्र, धर्मागतपुर, रतनपुरा, मऊ	1.73	50
5	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	1.73	50
6	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अनुवा-इलाहाबाद	1.73	50
7	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी जालौन	3.46	100
8	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला शाहजहाँपुर	1.73	50
9	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, आडिग मथुरा	2.595	75
10	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बिजनौर	6.92	200
	<b>योग</b>	<b>25.085</b>	<b>725</b>

(रू0 पचीस लाख आठ हजार पांच सौ मात्र)

( सुरेश चन्द्र )  
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।